10- Xkkeh.k fodkl foHkkx

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि 32105.25 लाख
- राज्य आयोजना मद 4808.32 लाख
- केन्द्रीय योजना मद 27296.93 लाख

लक्ष्य एवं उदेश्य

- रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।
- बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
- छत विहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना।
- कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना।
- सभी ग्रामीण परिवारों को दिन में दो बार भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना।
- वर्षा के पानी संग्रहण हेतु वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना।

Xkkeh.k fodkl foHkkx dk nf"V i=

राज्य की 76 प्रतिशत से अधिक जनसख्या गांवों में निवास कर रही है तथा यह भी सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास से ही राज्य सुदृढ आर्थिक विकास एवं कल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्धेश्य रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में परिसम्पतियों का सृजन कर ग्रामीण विकास की गति को तीव्र से तीव्रतम करना है। रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के लिए सामान्य रूप से क्रियान्वित कार्यक्रमो के साथ ही विभाग द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए विशिष्ट योजनाएं भी हाथ में ली गयी है। यह योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आधारभूत ढांचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्धेश्य से संचालित की जा रही है। वर्तमान में नागौर जिले की स्थिति इस प्रकार है –

10-1 orZeku fLFkfr

- कुल जनसंख्या 27.75 लाख
- ग्रामीण जनसंख्या 22.29 लाख
- अनुसूचित जाति का प्रतिशत 19.65 प्रतिशत
- अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत 0.23 प्रतिशत
- कुल कार्यशील जनसंख्या 11-30 yk[k
- कृषक 5.15 लाख
- कृषि श्रमिक 0.50 लाख
- गृह उद्योग कामगार 0.27 लाख
- अन्य कामगार 2.52 लाख
- सीमान्त कामगार 2.85 लाख
- बी.पी.एल. परिवारों की संख्या (ग्रामीण) 50104
- अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार 22359
- अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवार 00529
- अन्य पिछड़ी जाति व सामान्य बी.पी.एल. परिवार 27216

10-2 ;kstuk dk y{;

- रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।
- बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
- छत विहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना।
- कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना।
- सभी ग्रामीण परिवारों को दिन में दो बार भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनां
- वर्षा के पानी संग्रहण हेतु वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना

10-3 ;kstuk esa y{;ksa dh ifrZ gsrq dk;Z ;kstuk

¼1½ jkstxkj pkgus okys izR;sd ifjokj ds lnL; dks 100 fnol dk jkstxkj miyC/k djkukA

योजना अवधि में जिले के रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम 1 अप्रेल, 2008 से लागू की गई।

¼2½ lHkh ch-ih-,y- ifjokjksa dks xjhch js[kk ls Åij mBkuk

योजना में जिले के बी.पी.एल. परिवारों को निम्नानुसार लाभान्वित कर गरीबी रेखा से ऊपर लाया जावेगा :–

- 1000 बी.पी.एल. परिवारों के युवाओं को आई.टी.आई. प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया जावेगा।
- 1000 बी.पी.एल. परिवारों के युवाओं को डॉ रेड्डी फाउण्डेशन द्वारा प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार दिलाया जावेगा।
- 200 बी.पी.एल. परिवारों को जलग्रहण योजनाओं में स्वयं सहायता समूहो में स्वरोजगार द्वारा लाभान्वित कर व्यवसाय से जोड़ा जावेगा।
- 100 बी.पी.एल. परिवारों को पी.एम.आर.वाई. से लाभान्वित कर रोजगार योग्य धन्धा शुरू करवाया जावेगा।
- 1000 बी.पी.एल. परिवारों को एस.सी. निगम की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा।
- 500 बी.पी.एल. एस.सी. ⁄ एस.टी. परिवारों को एस.जी.आर.वाई की व्यक्तिगत लाभ की योजना से लाभान्वित कर रोजगार करने योग्य बनाया जावेगा।,
- 1000 बी.पी.एल. परिवारों को पक्के आवास निर्माण से लाभान्वित किया जावेगा।
- 1000 बी.पी.एल. परिवारों को बैंकों के माध्यम से समूह गठन कर लाभान्वित किया जावेगा।
- शेष बी.पी.एल. परिवारों को ग्रामीण विकास की रोजगार गारन्टी योजना से 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाकर आय में वृद्धि कर जीवन स्तर ऊचॉ उठाने का प्रयास किया जावेगा।
- सभी बी.पी.एल. परिवारों को ग्राम सारथी योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।

¼3½ Nr foghu ifjokjksa dks iDds edku miyC/k djokuk

बी.पी.एल. सर्वे 2002 के अनुसार कुल 6710 परिवार आवास विहीन हैं। इन परिवारों को आई.ए.वाई के तहत आवास हेतु अनुदान देकर आवास निर्माण करवाया जावेगा।

¼4½ dPps edkuksa esa jg jgs ifjokjksa ds edkuksa dks iDdk djokuk

आई.ए.वाई. (क्रमोन्नत) योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 12,500 रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाकर कच्चे आवासों को पक्का किया जावेगा।

¼5½ lHkh xzkeh.k ifjokjksa dks fnu esa nks ckj Hkkstu miyC/k djokus dh 0;oLFkk djuk

- बेसहारा लोगों को जिनको मुश्किल से एक वक्त भोजन उपलब्ध होता है उनको अन्नपूर्णा योजना से लाभान्वित कर 10 किग्रा निःशुल्क गेहूं प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जावेगा।

- ऐसे परिवार, जिनको दिन में एक बार भोजन मिलता है, उनमें से बी.पी.एल. परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 35 किग्रा गेहूं प्रतिमाह 2 रूपये प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध करवाया जावेगा तथा एन.आर.ई.जी.एस./एस.जी.आर.वाई. योजना के तहत रोजगार प्रदान कर नगद के साथ गेहूं वितरण कर खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की जावेगी।
- ऐसे परिवार जिनको दिन में दो बार लेकिन कभी–कभी भोजन उपलब्ध होता है, उनको ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं एन.आर.ई.जी.एस. में रोजगार उपलब्ध करवाकर दो समय के भोजन के योग्य बनाया जावेगा।

¼6½ Hk ty iuHkj.k ,o o"kk ty lp; gr okVj gkofLVx LVDpj cukuk

- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत निर्माण कराये जाने वाले समस्त भवनों में रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण सुनिश्चित किया जावेगा।
- ग्राम पंचायतों में पूर्व में निर्मित सभी सार्वजनिक भवनों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कर रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया जावेगा।
- जलग्रहण योजनाओं में जल कुण्डों का निर्माण कर काश्तकारों के निजी खेतों में वर्षा जल का संग्रहण किया जावेगा।
- जलग्रहण योजनाओं में बड़े कुण्ड एवं जल संग्रहण ढांचों का निर्माण सार्वजनिक भूमियों पर करवाया जावेगा।
- एन.आर.ई.जी.एस. योजना के तहत तालाबों को गहरा करना, मेड़बंदी एवं नहर निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव क्षमता का विस्तार कर भू–जल पुर्नभरण की व्यवस्था की जावेगी।

10-4 y{;k rd igpu gr foHkkxh; dk;Øeokj fo'y"k.k

गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों के लिये परिसम्पतियों का सृजन और बेरोजगारी को दूर करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आाधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उदेश्यों की पूर्ति हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है।

10-7 y{;k dk ikIr dju e lEHkkfor dfBukb;k ,o lek/kku

- कार्यभार एवं कार्य की विविधता के मध्यनजर स्नातक एवं दक्ष ग्रामसेवकों का ही पदस्थापन किया जावे।
- जिले में जन सहभगीदारी की गुरूगोलवल्कर योजना में राशि का आंवटन मांग की तुलना में कम प्राप्त होता है। अतः इसे बढाया जावे।
- इन्दिरा आवास योजना में वर्तमान में प्राप्त अनुदान की सीमा न्यूनतम 50 हजार रू. की जावे तथा राशि दो किश्तों की बजाय एक साथ ही जारी की जावे तो योजना का क्रियान्वयन समुचित रूप से एवं त्वरित गति हो सकेगा।
- जिले के बी.पी.एल. परिवार व अन्य रोजगार परक योजनाओं के लाभान्वितों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिये। जहां वर्ष भर विभिन्न कार्य–कलापों का विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित अवधि के प्रषिक्षण दिये जावें तथा प्रशिक्षण आवासीय हों। जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता हो उसको प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से भत्ता भी दिया जावे।